कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर कांग्रेसी नेताओं का दोहरा चरित्र उजागर हुआ : राज्यवर्धन

- 'कांग्रेस देश में सत्ता हासिल करने के लिए भारत का विभाजन तक करने को तैयार, लेकिन प्र.मंत्री मोदी ने इनके प्रयासों को विफल किया'

जयपुर। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 बहाली को लेकर इंडी अलायंस और कांग्रेस पर सवाल उठाए। कर्नल राठौड़ ने कांग्रेसी नेताओं को भारत का विभाजन करने वाला और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और इनके नेताओं द्वारा लगातार पिछले कई सालों से भारत को तोड़ने करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इनके प्रयासों को विफल कर दिया। कांग्रेस और इनके गठबंधन वाली राजनीतिक पार्टियां 370 को बहाल करने के लिए चाहे जितने प्रयास कर लें, लेकिन पीएम मोदी ने धारा 370 का अंतिम संस्कार कर दिया है ये धारा अब वापस खड़ी होने वाली नहीं है।

कर्नल राठौड़ ने कांग्रेसी नेताओं पर सवाल दागा कि राहुल गांधी और इनकी पार्टी के नेता ये स्पष्ट कर दें कि वे धारा 370 को हटाने के पक्ष में है या उसे बहाल करने के पक्ष में है। देश की जनता के सामने कांग्रेसी नेताओं को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश की कांग्रेस पार्टी हमारे आने वाली पीढ़ी को खंडित और बंटा हुआ भारत देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने के एवज में देश को बांटने के लिए और खंडित तक करने के लिए तैयार है। कांग्रेस की देश को खंडित करने की मानसिकता धारा 370 वापस लाने की नाकामियाब प्रयास से सामने आ गई है। इनके नेताओं का दोहरा चरित्र देश के सामने आ गया है।

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज पहली बार देश को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया है, इससे पहले भी इन्होंने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर गए थे तो इन्होंने अलगाववादी सोच वाले नेताओं से वार्ता की, जब ये यूरोप और अमेरिका जाते है तो वहां विश्वविद्यालय के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते है, और यूरोप-अमेरिका को भारत में दखल देने के लिए न्यौता देते है। राहुल गांधी ने जेएनयू में टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया, इतना ही नहीं, देश की आतंकी घटनाओं में हिन्दू टेरर का नाम दिया, वहीं दूसरी ओर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी इन्होंने सवाल उठाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने अब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए नेशनल क्रॉन्फ्रेस के साथ समर्थन दिया।

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए?, क्या एक देश में दो संविधान होने चाहिए? कश्मीर में पहली बार दलित, महिला, बच्चों को और शरनार्थियों को मतदान का अधिकार मिला, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका ये मतदान का अधिकार छीनना चाहती है ? उन्होंने कहा कि भारत के आजाद होने के बाद एक बहुत बडी राजनीतिक पार्टी ने भी वो काम किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, कांग्रेस और इनके परिवार के लोगों ने भी देश को लूटने का काम किया है।

रामकथा सुनने विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर वहां जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से रामकथा सुनी। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य को महान संत बताते हुए उनके तप और अध्ययन की गहराई की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुगल काल में अत्याचारियों ने देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का निरंतर प्रयास किया पर रामभद्राचार्य जैसे संतों की परंपरा और ज्ञान से ही भारत की संस्कृति बची रही है। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य से अध्यात्म की भारतीय परम्परा और संस्कृति पर भी चर्चा की। उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को युग-संत बताते हुए कहा कि उनके मुख से रामकथा का श्रवण जीवन को सार्थक करना है।

बजरी खान मालिकों को पुन: पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के मामले में पांच दिन की राहत

- एन.जी.टी. के इस आदेश के बाद वर्ष 2018 से पूर्व मिली खनन स्वीकृति लेने वालों को फिर से पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी, पर अंतरिम रोक
- उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख 12 नवम्बर तय की है

जयपुर, (का.सं.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एन.जी.टी.) द्वारा 8 अगस्त 2024 को पूरे देशभर में "माइनर मिनरल" के खनन, जैसे बजरी पर प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था, जिसके तहत सभी प्रदेशों में कार्यरत "स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी" (सिया) और जिलों में कार्यरत "डिस्ट्रक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी" (डिया) बजरी खनन कर रही सभी अनुमति प्राप्त खदान मालिकों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पुन: आवेदन करने होंगे। एन.जी.टी. के इस आदेश के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि 12 दिसम्बर 2018 से पहले जिन खदानों को बजरी खनन की अनुमति दी गई थी वे नियमानुसार पर्यावरीणय स्वीकृति के लिये पुन: आवेदन करें।

एन.जी.टी. के इस आदेश और पर्यावरण मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन से प्रभावित होते हुए राजस्थान सरकार व छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश की मांइनिंग एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में "स्पेशल लीव पिटीशन" (एस.एल.पी.) दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समय के अभाव में वे नये आवेदन दायर कर पर्यावरण स्वीकृति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनके द्वारा दायर याचिका के अनुसार पर्यावरणीय मंत्रालय ने दिसम्बर 2023 में ही पारिवेश 2.0 पोर्टल का उद्घाटन किया था, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये विस्तृत "मानक संचालय प्रक्रिया" (एस.ओ.पी.) का विवरण दिया गया है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों में कार्यरत "स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी" (सिया) को बजरी खनन कर रही खदानों को नयी पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिये समयावधि 27 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई थी, जो पहले 28 अप्रेल 2023 थी।

इस मामले में चंडीगढ़ खनिज पट्टेदार महासंघ और स्टोन क्रशर एसोसिएशन मध्यप्रदेश की ओर से अधिवक्ता श्रद्धा देशमुख पैरवी के लिये पेश हुई थी। वहीं राजस्थान सरकार की और से अधिवक्ता निधि जायसवाल।

इस मामले से जुड़े अधिवक्ता वरूण सिंघवी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं की जा सकी और भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ का यह आखिरी कार्यदिवस था। इसलिये उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख 12 नवम्बर तय की है और 13 तारीख तक मामले में अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिये हैं।

भजनलाल शर्मा आज झुंझुनूं और खींवसर में संबोधित करेंगे

जयपुर। विधानसभा उपचुनावों में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ झुंझुनूं एवं खींवसर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान झुंझुनूं में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और खींवसर विधानसभा क्षेत्र में खेल राज्य मंत्री केके विश्नोई, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे।

पूर्व में बसी हुई कॉलोनियों में बेतरतीब बहुमंजिला निर्माण को लेकर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में पूर्व में बसी कॉलोनियों में हो रहे बेतरतीब बहुमंजिला फ्लैट्स निर्माण और गांधीनगर में ओल्ड एमआरईसी कैंपस में प्रस्तावित बहुमंजिला आवास को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश बादल वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया की शहर में पूर्व में बसी कॉलोनियों के भूखंडों पर बिल्डर रोड की चौडाई के आधार पर बहुमंजिला फ्लैट्स का निर्माण कर रहे हैं। जबकि यहां भूखंडों के हिसाब से ही सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा गांधीनगर में न्यायाधीशों के निवास के पास ओल्ड एमआरईसी कैंपस में करीब 17 हजार वर्ग मीटर भूमि में भी बहुमंजिला आवास बनाने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया जा चुका है। राजकीय अधिकारी निवास के पुनर्विकास के नाम से यहां प्रथम चरण में 19 मंजिला 6 टावर बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 2 टावर की सभी इकाईयों को बेचा जाएगा। टोंक रोड से गांधी सर्किल की ओर जाने वाली इस रोड पर बनाने जाने वाले इस निर्माण के दो फ्लोर का व्यावसायिक उपयोग भी किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि यहां संपत्ति को आठ हजार रुपए की आरक्षित दर पर बेचना प्रस्तावित है। जबकि इस रोड की डीएससी राज्य खुद राज्य सरकार ने 73 हजार रुपए निर्धारित की है। वहीं यहां सरकारी कर्मचारियों को पन्द्रह फीसदी की छूट भी दी जाएगी। जिससे करीब 1400 करोड रुपए से अधिक की राजस्व हानि होगी। याचिका में बताया गया कि इस योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री के स्तर पर हो चुका है। इसके बावजूद पूर्व में मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत में गलत तथ्य पेश कर ऐसी किसी भी योजना पर निर्णय होने से मना कर दिया था। दूसरी ओर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि ओल्ड एमआरईसी कैंपस पर निर्माण के मामले को खंडपीठ पूर्व में बंद कर चुकी है। ऐसे में अन्य जगह बन रहे फ्लैट्स के मामले को अलग से उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

जे.डी.सी. सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस

- अदालती आदेश के बाद भी भूखंड आवंटन नहीं करने का मामला

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को पृथ्वीराज नगर में भूखंड नहीं देने पर प्रमुख यूडीएच सचिव वैभग गैलारिया और जेडीसी आनंदी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश रोहतान सिंह की अवमाना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने इनसे पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालती आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्रवाई अमल में लाई जाए। मामले से जुड़े अधिवक्ता राकेश शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता पीआरएन योजना का सफल आवंटी हैं। उन्होंने जेडीए के 15 सितंबर 2006 के आदेश की पालना में भूखंड की पूरी राशि जमा करवा दी और इसे वापस भी नहीं लिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2013 के आदेश से पीआरएन के सफल आवंटियों को पीआरएन में ही भूखंड का पट्टा देने का आदेश दिया। इस आदेश को संशोधित करवाने के लिए जेडीए ने प्रार्थना पत्र भी दायर किया था, जिसे अदालत ने 22 फरवरी 2024 को खारिज कर पूर्व आदेश को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता के मामले में अदालत ने गत 18 अप्रैल 2024 को फैसला देते हुए याचिकाकर्ता को इस संबंध में जेडीए में प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने आदेश के पालन में जेडीए में प्रतिवेदन दे दिया, लेकिन जेडीए ने उसका निस्तारण ही नहीं किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस किया।

गोपाष्टमी पर शुभकामनाएं

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गोपाष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अध्यक्ष देवनानी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गाय पूज्यनीय हैं। वे केवल पशुधन नहीं हैं। "गौ माता" मातृत्व और समृद्धि का प्रतीक है। गाय का पूरी दुनिया में महत्व है लेकिन भारत में प्राचीन काल से ही गाय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों को 78 करोड़ रु. क्लेम राशि नहीं दी

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017 से वर्ष 2022-23 तक के क्लेम अटके रहे
- अब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने विभागीय अधिकारियों को लंबित क्लेम राशि तुरंत किसानों के खातों में जारी करने के निर्देश दिए हैं

जयपुर । कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने कहा कि, केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण, समृद्धि और भरपूर फसल उत्पादन की दिशा में पूरी गंभीरता से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों के विगत वर्षो के लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्षो से लम्बित किसानों के बीमा क्लेमों को शीघ्र वितरित कराये जाने के लिए कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये हैं। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा कम्पनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रूपये के बीमा क्लेम लम्बित है। लम्बित क्लेमों में बैंक खाता सम्बन्धी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो पाया है।

लम्बित बीमा क्लेम के निस्तारण के लिए कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा कैम्प लगाकर प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, नवीन बैंक खाते का विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे कर सम्बन्धित कमियों को दूर कर, लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी।

गत वर्षो के लम्बित बीमा क्लेम जिनके भुगतान बैंक खाता व आधार सत्यापन के अभाव में विफल हो गये थे, उन्हें वितरित कराने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है। इस हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सम्बन्धित बीमा कम्पनी के साथ बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत नवम्बर 2024 तक लम्बित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखा का शुभारंभ आज

जयपुर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान में महिला उद्यमियों और महिला ग्राहकों को सुलभ-सहज बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिये जयपुर के मालवीय नगर स्थित अपेक्स सर्किल के पास "नारी शक्ति शाखा" शुरू करेगी। जिसका उद्घाटन 9 नवम्बर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। उनके साथ प्रिंसेज दिया कुमारी फाउंडेशन की संस्थापक राजकुमारी गौरवी कुमारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एम.डी. डॉ.भारती दीक्षित, यूनियन बैंक के केंद्रीय कार्यालय से पंकज द्विवेदी (कार्यपालक निदेशक), अंचल कार्यालय जयपुर के महाप्रबंधक विपिन शुक्ला और क्षेत्र प्रमुख रणजीत कुमार मौजूद रहेंगे।

हिस्ट्रीशीट खोली

जयपुर। जयपुर की पश्चिम जिला पुलिस ने शुक्रवार को गम्भीर प्रकृति के अपराधों में शामिल 10 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी।

मूंग खरीद नहीं करने के कारण हुए घाटे की भरपाई करें सरकार : रामपाल जाट

जयपुर। सरकार द्वारा मूंग की खरीद नहीं करने से 30 सितंबर तक का ही घाटा 79 करोड़ 61 लाख 94 हजार 884 रुपए है। अक्टूबर माह की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, उसको जोड़ने पर तो यह घाटा दोगुना से अधिक हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 15 अक्टूबर से आरंभ की गई जबकि, 60 दिन की फसल होने के कारण मूंग अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही मंडी एवं बाजारों में आना शुरू हो गया था। तब तक तो किसानों को अपना मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का सरकार ने विकल्प ही नहीं दिया। इसके लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार संयुक्ततः एवं पृथकतः उत्तरदाई है। इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को किसानों के बैंक खातों में अंतर राशि का अंतरण किए जाने की आवश्यकता है।

रोचक तथ्य तो यह है कि सितंबर माह तक ही राज्य की मंडियों में मूंग की आवक 4,73,362 क्विंटल है, जबकि 7 नवम्बर तक की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग की मात्रा 1,20,277.9 क्विंटल है। इस अवधि में अक्टूबर एवं नवंबर की आवक को सम्मिलित किया जाए तो यह खरीद नगण्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने पर किसानों को एक क्विंटल के दाम 8,682 रुपए प्राप्त होते हैं जबकि बाजार में इसी मूंग के 6 से लेकर 7000 रुपए तक प्राप्त होते हैं। बाजार के अधिकतम मूल्य के अनुसार भी एक क्विंटल पर किसानों को 1,682 रुपए काम प्राप्त होते हैं। कमोबेश यही स्थिति उड़द, मूंगफली, सोयाबीन जैसी उपजो की है। भारत सरकार ने देश को तिलहन एवं दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की नीति घोषित की हुई है। तब भी देश के किसानों को इन उपजो का विक्रय मजबूरी में घाटा उठाकर करना पड़ता है

पीजी मेडिकल कोर्स में शामिल करने के आदेश

जयपुर। हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसका आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. प्रीतम यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि नीट पीजी-2024 पास करने के बाद याचिकाकर्ता ने गत 23 सितंबर के नोटिफिकेशन की पालना में ऑनलाइन आवेदन करना था।

उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ डाला छठ महापर्व संपन्न

जयपुर। पूर्वांचल के श्रद्धालुओं का चार दिवसीय छठ सूर्य उपासना महापर्व शुकव्रार को उगते हुए सूर्य को अघ्र्य देने के साथ संपन्न हुआ। मुख्य आयोजन गलता तीर्थ में हुआ। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अघ्र्य दिया। देर रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 36 घंटे का निर्जल-निराहार व्रत रखे श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के समय कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अघ्र्य दिया। जलाजंलि देने के बाद मौसमी, सेव, केला, ठेकुआ, कसर, गन्ने का भी जल के साथ अघ्र्य दिया। अघ्र्य देने के लिए श्रद्धालु सूर्योदय से पहले ही जल में खडे हो गए। जैसे ही पूर्व दिशा से लालिमा फूटी तो केरवा जे फरे ला घवद से..., सबेरे चरण तोहार है छठी मईया..., उगऽ है सूरज देव अरघ के बेर...जैसे भोजपुरी-मैथिली लोक गीतों से गलताजी गूंज उठा।

आमेर में सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ धूमधाम मनाया गया। मावठे पर पूर्वांचल के श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। छठ पूजा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। राजधानी के विभिन्न इलाकों से भी लोग मावठा पर छठ पूजा करने के लिए पहुंचे। शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अघ्र्य देने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इसी के साथ छठ पूजा का समापन हुआ।

उल्लेखनीय है कि पुरातत्व विभाग ने सात साल बाद छठ पूजा की अनुमति दी है। सुरक्षा की दृष्टि से 2018 में छठ पूजा बंद कर दी गई थी। मैथिल परिषद के अध्यक्ष दिलीप कुमार झा ने बताया कि आमेर में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 45 हजार से भी ज्यादा लोग रहते हैं। छठ पूजा मैथिली समाज का मुख्य त्योहार है। जगह नहीं होने के कारण मजबूरी में लोग इसे घर में ही मनाने लगे थे। इस बार पुरातत्व विभाग से इसकी अनुमति मांगी गई थी।

छठ पर्व पर गलता तीर्थ में हजारों श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया।

इलाज के दौरान वकील की मौत पर अधिवक्ताओं ने लगाया जाम

जयपुर। जगतपुरा के पास स्थित जीवन रेखा अस्पताल में इलाज के दौरान वकील की मौत से गुस्साए वकीलों ने सेशन कोर्ट के बाहर जाम लगा दिया। जिसके चलते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। दूसरी ओर वकीलों ने अस्पताल पहुंच कर वहां भी विरोध दर्ज कराया। आखिर में दोनों पक्षों ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की। दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि पीडित परिवार की मांग पर 26 लाख रुपए और एक सदस्य को निजी अस्पताल में नौकरी देने पर सहमति हुई है।

डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह ने बताया कि एडवोकेट योगेश शर्मा कुछ दिनों पहले पथरी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। दर्द अधिक होने पर चिकित्सकों ने 4 नवंबर को उनका ऑपरेशन किया था। इस दौरान उनके पेट में संक्रमण हो गया। जिसके चलते 7 नवंबर को चिकित्सकों ने उनका वापस ऑपरेशन किया। इसके कुछ घंटों बाद ही योगेश की मौत हो गई। वकील साथी की मौत होने की सूचना मिलने पर दर्जनों वकील अस्पताल पहुंचे।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,
और
मैसर्स सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय
बी-536-537, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर, राजस्थान 301030 में है, के मामले में।
.......याचिकाकर्ता कंपनी
एतद्द्वारा आम जनता को सूचना दी जाती है कि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राजस्थान राज्य" से "गुजरात राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 28 सितंबर 2024 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की जाती है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पते आरओसी भवन, रूपल पार्क सोसाइटी के सामने, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नारणपुरा, अहमदाबाद - 380013, गुजरात** पर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **चौदह 14 दिनों** के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेजें और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को ऊपर उल्लिखित उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।
आवेदक के लिए और उनकी ओर से
सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड
दिनांक: 08.11.2024 — चिराग थुमर, निदेशक,
स्थान : अलवर — (डीआईएनः 10640822)
सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड
बी-536-537-मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर, राजस्थान -301030, (O) 0144 2881 392,
(E) sardaproteins@yahoo.com
(W) www.sardaproteins.com

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर
क्रमांकः एफ.55()वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/1987 दि.: 29.10.24
:: सार्वजनिक सूचना::
भूखण्ड सं. 45 (पूर्वी भाग), चमनबाड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर (सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति) का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री छगनलाल सैनी पुत्र चमनजी सैनी के पक्ष में क्षेत्रफल 150.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवन्टी की मृत्यु पश्चात् शेष वारिसानों द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण श्री कैलाश सैनी पुत्र स्व. श्री छगनलाल सैनी के हित में किया गया। श्री कैलाश सैनी की मृत्यु पश्चात् शेष वारिसानों द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण श्रीमती नन्दी देवी पत्नी स्व. कैलाश सैनी के पक्ष में कर दिया गया। श्रीमती नन्दी देवी ने भूखण्ड क्षेत्रफल 100 वर्गगज का बेचान आवेदक अलनिशा बेगम पत्नी अजाज नबी को दिनांक 15 मई 2023 को कर दिया गया। श्रीमती अलनिशा बेगम ने आवेदन कर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूखण्ड सं. 45, पूर्वी भाग, चमनबाड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर (सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति) क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज भूमि का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)
E-Mail:-sambharnagarpalika@gmail.com — Phone No. 01425-228245
क्रमांकः-नपासा/2024-25/1226 — **आपत्ति सूचना** — दिनांकः- 05.11.2024
नगर पालिका सांभर शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सरकार की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार ODF घोषित है।
1. अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब करता हुआ पाया जाता है तो नगर पालिका द्वारा सरकार की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
2. प्लास्टिक/पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग प्रतिबंधित तथा अपराध है। अतः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग, विक्रय भण्डारण नही किया जाकर जूट, कागज व कपडें के थैले का उपयोग करें।
राज.संवाद/सी/24/7503 — अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर
क्रमांक :- ननिको(उ)/गैरिज/2024/524-537 — दिनांक : 06.11.2024
ई-निविदा-सूचना
ई-निविदा पद्धति से नगर निगम कोटा उत्तर के गैरिज अनुभाग मे वाहन चलाने हेतु वाहन चालक (हल्का वाहन/भारी वाहन/ऑपरेटर) एवं हेल्पर व कनिष्ठ तकनीकी सहायक की आपूर्ति कार्य के लिए योग्य संवेदकों से ई-निविदा पद्धति से नियमानुसार ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट राजस्थान के पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in, www.kotamc.org प्राप्त कर सकेगें।
अनुमानित राशि :- 117.90 लाख
U.B.N. No. WORK-1) DLB2425SLOB11581
U.B.N. No. WORK-2) DLB2425SLOB11582
U.B.N. No. WORK-3) DLB2425SSOB11583
राज.संवाद/सी/24/7445 — आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर